


**HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR**

Endt No.....13/4223...../ Jabalpur, dated ...3...../11/2020.  
III-6-4/10

Copy of Notification No. 17(E)17/2016/21-B(1)/2808/20 dated 24-10-2020 issued u/s 3 of Commercial Court Act 2015. ( District Judge level/ Civil Judge level) received from State Govt, Department of Law & Legislative Affairs, Bhopal is forwarded to :-

01. The District & Sessions Judges, .....
02. The District & Sessions Judge (Vigilance), Jabalpur / Indore / Gwalior;
03. The Registrar, High Court of Madhya Pradesh; Bench at Indore/Gwalior
04. Registrar (J.)/(D.E.)/(A)/(Vig.)/(VI.)(J-1) (J-II) High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur.
05. Shri/Smt .....
06. P.P.S. to Hon'ble the Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for placing the matter before his Lordship;
07. P.S. to Registrar General/Registrar(Judl)/ Registrar (I & V)/ Registrar(Examination)/ Registrar (I. L.R.) /Registrar(DE) High court of Madhya Pradesh Jabalpur
08. P.A. to Director/Additional Director, M.P. State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur;
09. Joint Registrar Confdl/ Admn Officer (Checker / W.S. /Budget, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur;
10. Server Room (Computer) for making available in the official website of the High Court under the hyperlink circular/ orders etc. in compliance of the orders of Registrar General dated 01-03-2018 & endt No. Reg(IT)/SA/2018/368 dated 01-03-2018.

  
(B.P.SHARMA)  
REGISTRAR (D.E.)

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 24/10/2020

फा0 क्र0 17(ई)17/2016/21-ब(एक) 2808/2020- कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 (2016 का 4) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा.क्र17(ई)17-2016-इक्कीस-ब(एक)-2311/19, दिनांक 04.05.2019, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1, दिनांक 17.05.2019 में प्रकाशित की गई थी में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में अनुक्रमांक 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

सारणी

स.क्र.	जिला	स्थानीय क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)
"4.	ग्वालियर	श्री नरेन्द्र कुमार भंडारी, अष्टम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, ग्वालियर

F.NO.17(E)17/2016/XXI-B(1)2808 /2020- In exercise of the powers conferred by section 3 of Commercial Courts, Act, 2015 (No. 4 of 2016) the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in this department's notification no. 17(E)17-2016-XXI-B(1) 2311 /19 dated 04.05.2019 which was published in the Madhya Pradesh Gazette part 1, dated 17.05.2019, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial number 4 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

TABLE

S.No.	District	Local limits of area
(1)	(2)	(3)
"4.	Gwalior	Shri Narendra Kumar Bhandari, VIII Civil Judge -I, Gwalior."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

( सत्येन्द्र कुमार सिंह )

प्रमुख सचिव,


मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

//2//

पृ० क्र० 17(ई)17/2016/21-ब(एक) 2808/2020,  
प्रतिलिपि:-

भोपाल,दिनांक 24/10/2020

1. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पत्र क्रमांक सी/2430, दिनांक 28.9.2020 के संदर्भ में,
2. प्रमुख सचिव, म० प्र० शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
3. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर (म० प्र०)
4. उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु (म० प्र० राजपत्र के भाग-1 के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ) प्रेषित।
5. शाखा प्रभारी, आय० टी० शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।

 24-10-2020

\* (रलेश चन्द्र सिंह बिसेन)  
सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग  
JK

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग  
अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 24/10/2020

फा0 क्र0 17(ई)17/2016/21-ब(एक) 2808/2020- कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 (2016 का 4) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों की प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा.क्र.17(ई)17-2016-इक्कीस-ब(एक)-2311/19, दिनांक 04.05.2019, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1, दिनांक 17.05.2019 में प्रकाशित की गई थी में निम्नलिखित संशोधन करना है अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में अनुक्रमांक 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

सारणी

स.क्र.	जिला	न्यायिक अधिकारी जिला न्यायाधीश स्तर
(1)	(2)	(3)
4.	ग्वालियर	श्री देवेन्द्र कुमार कुण्डु, तृतीय अपर जिला न्यायाधीश, ग्वालियर.

F.No.17(E)17/2016/XXI-B(1)2808/2020- In exercise of the powers conferred by section 3 of Commercial Courts, Act, 2015(No. 4 of 2016) the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh hereby, makes the following amendment in this department's notification no. 17(E)17-2016-XXI-B(1) 2311/19 dated 04.05.2019 which was published in the Madhya Pradesh Gazette part 1, dated 17.05.2019 namely:-

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial number 4 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

TABLE

S.No.	District	Name of the Officer & designation
(1)	(2)	(3)
4.	Gwalior	Shri Devendra Kumar Kundu, III-Additional District Judge, Gwalior."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

( सत्येन्द्र कुमार सिंह )

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

// 2 //

पु० क्र० 17(ई)17/2016/21-ब(एक) 2808/2020.

भोपाल, दिनांक 24/10/2020.

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पत्र क्रमांक सी/2430, दिनांक 28.09.2020 के संदर्भ में,
2. प्रमुख सचिव, म० प्र० शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
3. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर (म० प्र०)
4. उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु (म० प्र० राजपत्र के भाग-1 के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ) प्रेषित।
5. शाखा प्रभारी, आय० टी० शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।

(रत्नेश चन्द्र सिंह विमल)  
सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

३५